

संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर
बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. /बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम
सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

—:: अंतिम चरण की काउंसिलिंग सूचना ::—

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2015-16 में द्वितीय चरण के काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा 2015 में सम्मिलित छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रवेशार्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में प्राप्तांक श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर(चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :-

समय सारिणी - शासकीय नियतांश हेतु

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक
14.10.2015 बुधवार	अनारक्षित (निल/एफ.एफ./ सैनिक/विकलांग)	प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक	न्यूनतम 60 अंक तक
	अजजा (निल/एफ.एफ./ सैनिक/विकलांग)	प्रातः 10.30 से 12.30 बजे तक	न्यूनतम 40 अंक तक
15.10.2015 गुरुवार	अजा (निल)	प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक	न्यूनतम 40 अंक तक
	अपिव (निल)	प्रातः 10.30 से 12.00 बजे तक	न्यूनतम 58 अंक तक

- (अ) छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2014 की में दिए गये निर्देशानुसार सीटों को परिवर्तित किया जावेगा।
(ब) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे भी काउंसिलिंग में चान्स लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।
(स) शासकीय/निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों में रिक्तियां निम्नानुसार है :-

	अना.				अजजा				अजा अपिव	
	Nil	FF	S	PH	Nil	FF	S	PH		
1. शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
2. छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कालेज मनकी, रायपुर	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
3. सी.एल.चौकसे मेमो. होम्योपैथी मेडि.कालेज, बिलासपुर	14	1	1	1	12	-	-	-	4	1
4. महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, रायपुर	3	-	-	-	8	-	-	-	1	-
5. रायपुर होम्योपैथी मेडि.कालेज रामकुण्ड, रायपुर	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-
6. श्रीमहावीर प्राकृतिक एवं योगविज्ञान महा., नगपुरा, दुर्ग	10	-	-	-	8	-	-	-	2	-
7. मोहसीने मिल्लत यूनानी मेडिकल कालेज रायपुर	6	-	-	-	5	-	-	-	2	2

टीप - रिक्त सीटों की संख्या में परिवर्तन सम्भावित है।

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :-

1. व्यापक प्रवेश परीक्षा-2015 की अंकसूची ।
2. 10 वीं एवं 12 वीं की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र ।
3. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण-पत्र ।
4. एस.सी. ,एस.टी. एवं ओ.बी.सी. संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र । (केवल ओ.बी.सी. के लिए)
6. सैनिक संवर्ग के लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।
7. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के लिए जिला कलेक्टर के रूप में रखे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में उनका नाम पंजीकृत है , इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र एक मात्र मान्य/वैध प्रमाण-पत्र होगा ।
8. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
9. विकलांग संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
10. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के तीन सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें ।
11. निम्नानुसार काउंसिलिंग शुल्क नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा , जो वापसी योग्य नहीं है :-
अनारक्षित/अ.पि.व.के लिए ₹.500/- तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिये ₹.300/-

12. शैक्षणिक शुल्क :-


- (1) काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग/शैक्षणिक शुल्क की राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ,जो " प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग)" या "Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो ।
- (2) काउंसिलिंग के समय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर का शुल्क - सामान्य /ओ.बी.सी.के लिए ₹ 8,635/- तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए ₹. 3,235/- जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा ।
- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत ₹. 51,700/- जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा ।
- (4) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत ₹. 25,900/- , रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत ₹. 25,400/-, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यु राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत ₹. 23,850/-, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत ₹. 26,400/- तथा मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत ₹. 27,000/- जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा ।
- (5) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

- नोट :-
- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से आनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।
 - (2) महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कालेज द्वारा ली गई अंतरिम शुल्क एवं निर्धारित अंतिम शुल्क में अन्तर की राशि छात्र द्वारा/संस्था द्वारा जैसा भी प्रकरण हो संस्था को/छात्र को वापस देय होगा । इस संबंध में वचनपत्र लिया जावेगा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा शुल्क निर्धारित किए जाने के बाद तदनुसार शुल्क का समायोजन अंतिम रूप से किया जावेगा ।
 - (3) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चरपा किया जावेगा ।



- (4) काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी।
- (5) काउन्सिलिंग से संबंधित विरतृत जानकारी वेबसाइट www.cgaupcb.in एवं cghealth.nic.in/ehealth/dishm/index.html पर उपलब्ध है।




संचालक
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़